Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Worth Rreporting

**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/10438/2003/अलवर**

1. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, बानसूर जिला अलवर

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रहलाद पुत्र निहाल जाति अहीर निवासी ग्राम डांगीवास तहसील बानसूर जिला अलवर

**–प्रत्यर्थी**

**खण्डपीठ**
**श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष**
**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री वी.पी. सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री खडग सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

**निर्णय**

**दिनांक07.03.2018**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 74/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–01–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा

88, 89 एवं 188 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भेडीवास स्थिति आराजी खसरा नम्बर 70 मिन में से वादी को 05बीघा भूमि दिनांक 30–7–1978 को आवंटित हुई, जिसका कब्जा व आवंटन का पट्टा भी वादी को मिला। राजस्व कर्मचारियों ने अन्य आवटियों का अमल कर दिया परन्तु वादी के कब्जे काश्त की आवंटित 05बीघा भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–03–2002 से वाद को खारिज दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णयों एवं डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी की ओर से भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–01–2003 से स्वीकार कर वादी प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को डिक्री करते हुए विवादित आराजी का वादी प्रत्यर्थी को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में चारागाह की प्रविष्टि को कलमजन कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के

विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी आवंटन से पूर्व चारागाह दर्ज थी तथा आवंटन के पश्चात् भी चारागाह दर्ज है। आवंटन नियम, 1970के नियम 4 तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चारागाह की भूमि न तो आवंटन हेतु उपलब्ध है, ना ही ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। उनका कथन है कि आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान सम्बन्धित आवंटन नियमों में दिये है तथा आवंटन नियमों के तहत ही आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार तभी प्रदान किये जा सकते है जब आवंटी को नियमानुसार आवंटन किया गया हो तथा आवंटी द्वारा आवटन शर्तो की पालना की हो। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी की किस्म चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के आधार पर वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलीधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए विलम्ब को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल किया जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 70 मिन रकबा 30बीघा भूमि सिवायचक थी, जो अन्य आवंटितयों के साथ उनके पक्षकार वादी प्रत्यर्थी

को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30–7–1978 को आवंटित की गयी थी एवं पट्टा जारी किया गया था तथा आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि का कब्जा नियमानुसार प्रदान किया गया था, जिस पर प्रत्यर्थी लगातार काबिज काश्त है। उनका कथन है कि खसरा परिवर्तनशील में प्रत्यर्थी की विवादित आराजी पर लगातार काश्त दर्ज है। विचारण न्यायालय ने आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा काश्त नहीं किये जाने के आधार पर आवंटन शर्तो का उल्लघन होना माना है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी वक्त आवंटन चारागाह भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं थी। उनका कथन है कि आवंटी विवादित आराजी पर लगातार पिछले 40 वर्षो से काबिज काश्त है तथा उसके द्वारा विवादित आराजी की सिचाई हेतु बोरिंग भी करवा रखा है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी प्रत्यर्थी को आवंटी होना एवं आवंटन उपरान्त लगातार काबिज काश्त होना प्रमाणित है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र एवं उसके समर्थन में प्रभारी अधिकारी ओमप्रकाश सांखला द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख

अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किया जाना उचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, बानसूर के समक्ष प्रतिवादी अपीलार्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भेडीवास स्थिति आराजी खसरा नम्बर 70 मिन में से वादी को 05बीघा भूमि दिनांक 30-7-1978 को आवंटित हुई, जिसका कब्जा व आवंटन का पट्टा भी वादी को मिला। राजस्व कर्मचारियों ने अन्य आवटियों का अमल कर दिया परन्तु वादी के कब्जे काश्त की आवंटित 05बीघा भूमि को चारागाह दर्ज कर दिया। अतः वादी का वाद डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2054 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 70 मिन रकबा 47बीघा 18बिस्वा भूमि गैर मुमकिन चारागाह दर्ज है। विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन चारागाह दर्ज होकर सार्वजनिक हित की भूमि होने से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन योग्य नहीं थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन चारागाह राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से इस प्रकार की भूमि पर प्रत्यर्थी वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त किया जाना कानूनन वर्जित है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके

विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की किस्म वक्त आवंटन बारानी सोयम होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रत्यर्थी द्वारा ना तो हमारे समक्ष ना ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित आराजी की किस्म वक्त आवंटन चारागाह भूमि दर्ज नहीं होकर बारानी सोयम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। विवादित आराजी की किस्म राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन चारागाह दर्ज होने से ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रावधित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–01–2003 निरस्त की जाती है तथा विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश, बानसूर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–03–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( मोहन लाल नेहरा )**
**सदस्य**

**( वी. श्रीनिवास)**
**अध्यक्ष**